क्रम संख्या–24

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 30 मार्च, 2022 ई0

चैत्र 09, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 85 / XXXVI (3) / 2022 / 14(1) / 2022

देहरादून, 30 मार्च, 2022

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2022'** पर दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह **उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 04 वर्ष, 2022** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2022

(अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2022)

राज्य की संचित निधि से 01–04–2022 से 31–07–2022 की अवधि में सेवाओं पर व्यय के लिए कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग(लेखानुदान) अधिनियम, 2022 है।

उत्तराखण्ड की संचित निधि से वित्तीय वर्ष 2022–23 से रु0211168144000 का निकाला जाना

2. उत्तराखण्ड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूची के स्तम्भ– 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, रुपये 211168144000 **(रुपये इक्कीस हजार एक सौ सोलह करोड़ इक्यासी लाख चवालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ–8 और 10 में विनिर्दिष्ट मतदेय तथा स्तम्भ–9 और 11 में विनिर्दिष्ट भारित धनराशियों का योग है निकाली जा सकेगी।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित जाने के लिए प्राधिकृत धनराशि, उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिए)

31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ऐस व्यय का अनुमान जिसके लिये लेखानुदान की आवश्यकता है

(धनराशि हजार में)

अनुदान का संख्याक	सेवाएं और परियोजना	कुल मांग				योग	1 अप्रैल 2022 से 31 जुलाई, 2022 हेतु आवश्यक धनराशि				योग
		राजस्व		पूंजी			राजस्व		पूंजी		
		मतदेय	भारित	मतदेय	भारित		मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	विधान सभा	8,13,463	25,421	1,20,000	0	9,58,884	2,71,153	8,474	39,999	0	3,19,626
02	राज्यपाल	0	1,46,733	0	0	1,46,733	0	48,915	0	0	48,915
03	मंत्रि परिषद्	4,85,970	0	5,00,000	0	9,85,970	1,61,990	0	1,66,667	0	3,28,657
04	न्याय प्रशासन	26,55,693	6,20,301	5,90,950	0	38,66,944	8,85,234	2,06,767	1,96,983	0	12,88,984
05	निर्वाचन	6,81,793	0	2	0	6,81,795	2,27,286	0	2	0	2,27,288
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	185,33,615	26,278	25,89,001	0	211,48,894	61,77,902	8,763	8,63,001	0	70,49,666
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	1057,27,794	629,79,457	94,94,901	468,86,300	2250,88,452	352,42,635	237,48,203	31,64,968	156,28,765	777,84,571
08	आबकारी	3,84,200	0	20,000	0	4,04,200	1,28,067	0	6,667	0	1,34,734
09	लोक सेवा आयोग	2,04,950	2,75,651	20,000	0	5,00,601	68,318	91,884	6,667	0	1,66,869
10	पुलिस एवं जेल	232,87,296	0	6,35,000	0	239,22,296	77,62,444	0	2,11,666	0	79,74,110
11	शिक्षा,खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	980,32,062	0	52,39,321	0	1032,71,383	326,77,417	0	17,46,451	0	344,23,868
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	295,98,177	0	41,85,742	0	337,83,919	98,66,116	0	13,95,253	0	112,61,369
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	94,45,614	0	187,18,436	0	281,64,050	31,48,533	0	62,39,480	0	93,88,013
14	सूचना	11,90,288	0	10,000	0	12,00,288	3,96,775	0	3,333	0	4,00,108
15	कल्याण योजनायें	224,72,456	0	15,64,909	0	240,37,365	74,90,880	0	5,21,643	0	80,12,523
16	श्रम और रोजगार	58,65,217	0	8,23,911	0	66,89,128	19,55,085	0	2,74,637	0	22,29,722
17	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	109,65,099	0	5,09,006	0	114,74,105	36,55,061	0	1,69,673	0	38,24,734
18	सहकारिता	12,40,486	0	8,20,000	0	20,60,486	4,13,498	0	2,73,334	0	6,86,832
19	ग्राम्य विकास	113,29,389	0	153,76,938	0	267,06,327	37,76,466	0	51,25,649	0	89,02,115
20	सिंचाई एवं बाढ़	56,48,184	30,000	80,23,703	0	137,01,887	18,82,726	10,000	26,74,571	0	45,67,297
21	ऊर्जा	3,13,034	0	47,64,419	0	50,77,453	1,04,346	0	15,88,142	0	16,92,488
22	लोक निर्माण कार्य	99,37,650	1,07,830	140,10,000	0	240,55,480	33,12,545	35,942	46,70,000	0	80,18,487
23	उद्योग	35,01,158	0	9,51,602	0	44,52,760	11,67,065	0	3,17,202	0	14,84,267
24	परिवहन	14,69,018	0	22,33,877	0	37,02,895	4,89,677	0	7,44,628	0	12,34,305
25	खाद्य	15,37,553	0	52,40,001	0	67,77,554	6,96,685	0	17,46,668	0	24,43,353
26	पर्यटन	13,38,926	0	22,80,003	0	36,18,929	4,46,311	0	7,60,004	0	12,06,315
27	वन	119,41,369	0	9,04,739	0	128,46,108	39,80,493	0	3,01,583	0	42,82,076
28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	44,67,059	0	2,47,504	0	47,14,563	14,89,027	0	82,504	0	15,71,531
29	औद्यानिक विकास	49,46,634	19,948	5,61,001	0	55,27,583	16,48,911	6,649	1,87,001	0	18,42,561
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	151,82,839	0	43,08,107	0	194,90,946	50,60,983	0	14,36,040	0	64,97,023
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	39,81,169	0	16,45,917	0	56,27,086	13,27,098	0	5,48,639	0	18,75,737
	योग	4071,78,155	642,31,619	1063,88,990	468,86,300	6246,85,064	1359,10,727	241,65,597	354,63,055	156,28,765	2111,68,144

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,

प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

भारत का संविधान के अनुच्छेद 204 इस बात की अपेक्षा करता है कि विधान सभा द्वारा अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान सभा में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया जाय। राज्य द्वारा विविध व्यय चुकाने के निमित्त राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है, अतः—

इस विधेयक में उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में प्रथम चार माह हेतु उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के लिये अपेक्षित समस्त धनराशियों के विनियोग की व्यवस्था है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्य मंत्री।